# क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

**कार्यक्रम का नामः** जननी सुरक्षा योजना

**बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर):** आशा को प्रोत्साहन राशि

**बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर):** A.1.4.4

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :**

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । वैसे स्थान जहां पर आशा का चयन नहीं किया गया है वहां पर यदि आंगनवाडी सेविका कार्यरत है उन्हें यह राशि दी जाएगी ।

**इकाई राशि (रू० में) :600 ग्रामीण तथा 400 शहरी/–**

**वित्तीय दिशा निर्देश :**

आशा/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹600/–रूपये/प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं ₹400/–रूपये/प्रसव शहरी क्षेत्र के लिए संस्थागत प्रसव हेतु सहायता प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार देय होगी। यह दिनांकः 01.04.2013 से लागू है ।

| कार्य | ग्रामीण क्षेत्र हेतु | शहरी क्षेत्र हेतु |
|---|---|---|
| प्रसव पूर्व जाँच 1 (12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण सहित) | 100 रू०/– | 100 रू०/– |
| प्रसव पूर्व जाँच 2 | | |
| प्रसव पूर्व जाँच 3 | | |
| प्रसव पूर्व जाँच 4 | | |
| आई० एफ० ए० 1 | 100 रू०/– | 100 रू०/– |
| आई० एफ० ए० 2 | | |
| आई० एफ० ए० 3 | | |
| टी० टी० 1 | 100 रू०/– | |
| टी० टी० 2 | | |
| **कुल** | **300 रू०/–** | **200 रू०/–** |
| संस्थागत प्रसव हेतु (बी०सी०जी० टीकाकरण के उपरांत) | **300 रू०/–** | **200 रू०/–** |
| **कुल योग** | **600 रू०/–** | **400 रू०/–** |

नोट–

1. आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर प्रसव होता है वहां यह राशि देय होगी ।
2. **अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई. एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा । गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी ।**

13/7/13 10/7/13

3. गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए. तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड / मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर सूचनाओं को अंकित करने की जवाबदेही आशा की होगी। यदि कोई ऐसी महिला जिसके पास कार्ड है परंतु टीकाकरण से संबंधित तिथि अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में Maternal Child Tracking System व्यवस्था के आंकड़ों से इसका सत्यापन कर लिया जाए कि उस महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ दी गयी हैं या नहीं। यदि उस महिला का कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका सत्यापन ए.एन.एम. / स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । प्रायः यह देखा जाता है कि प्रसूति माताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय हो जाता है परंतु आशा को समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि आशा का भुगतान ससमय कर दिया गया है ।

**विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –**

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो भी आशा का भुगतान देय होगा ।

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी आशा का भुगतान देय है ।

**भुगतान की प्रक्रिया** : आशा को उनके संबंधित एकाउण्ट में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी । इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेषित किया गया है ।

**इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)**

(क)SHSB/PM/22/2005- VII-3092, Dt:- 29/03/2013

**संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम** : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

**संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर** : 9431005972,

13/7/13 10/7/13